निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) – एक अध्ययन

Dr. Prankush Sharma[1]* Dr. Parmanand Barodiya[2]

[1]Guest Faculty, Kamlaraja Girls Govt Post Graduate Collage, Gwalior

[2]Assistant Professor, Department of Commerce Preston Collage, Gwalior

शोध सार – सीएसआर आधुनिक निगमों की दिल और आत्मा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण मानक भी है। सीएसआर कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, लाभप्रदता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक अनिवार्य तंत्र है। 1 अप्रैल 2014 के पहले भारत में कार्पोरेट की सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना कानूनन अनिवार्य नहीं था। हालाँकि कुछ कम्पनियाँ खुद से आगे बढकर समाज के बड़े तबकों के गरीब लोगों को मदद कई रूपों में प्रदान करती रही। इनमे शामिल था शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, सामाजिक सरोकारों, बुनियादी ढांचे का विकास, और सतत आजीविका आदि। कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार यदि किसी कम्पनी की कीमत 500 करोड़ या अधिक या कारोबार रुपया 1000 करोड़ या अधिक या शुद्ध लाभ 5 करोड़ या कंपनी अधिनियम 2013 और समय समय पर किये गये परिवर्तन की अनुसूची सातवीं में निर्दिष्ट के रूप में कार्पोरेट की समाजिक दायित्वों गतिविधियों पर पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध मुनाफे का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। यह अब कानूनन अनिवार्य है। यह नियम 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया है।

शब्द कुंजी– सीएसआर, कार्पोरेट गवर्नेंस, प्रौद्योगिकीय, सामाजिक उत्तरदायित्व।

---------------------------------x---------------------------------

प्रस्तावना–

सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय है ऐसे कृत्यों के लिए नीतिबद्ध होना अथवा नैतिक रूप से जिम्मेदार होना जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करते हैं सीएसआर आधुनिक निगमों की दिल और आत्मा है और कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण मानक भी है। व्यावसायिक उद्यमों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा हुआ आत्म विनियमन जो टिकाऊ उद्यमिता तक ले जाता है। टिकाऊ उद्यमिता नीतिबद्ध रूप में व्यवहार करने और समाज के जीवन में सुधार लाने के साथ–साथ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने की व्यवसाय की वचनबद्धता और जिम्मेदारी है। इस प्रकार टिकाऊ उद्यमिता संगठनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों, निवेश, प्रौद्योगिकीय विकास के दीर्घकालिक आवंटन की ओर उन्मुख होती है। तदनुसार, टिकाऊ उद्यमिता अधिकांशतः ऐसे बड़े उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है जो अधिक संख्या वाले हितधारकों जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, विनियामकों आदि से अर्ध–विधिक अथवा स्वनियामक नीति के रूप में संपर्क में आते हैं, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कहते हैं।

सीएसआर सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यापार का आयोजन करते हुए लोगों के अंदर और निगम के बाहर दोनों नैतिक अखंडता को बनाए रखने के क्रम में आधुनिक निगमों के लिए चमकते हुए तारे की भांति है। कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी भारत देश के लिये नई नहीं है बल्कि इसका प्रमाण वर्षो पहले से देश में मौजूद है। समय – समय पर सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति की प्रक्रिया अवश्य परिवर्तित होती रही है। परन्तु जमीनी हकीकत यह भी है की समाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति आवश्यकता आधारित न करके बल्कि व्यावसायिक कंपनिया नियमो की पूर्ति करने के लिए करती है। जिसमे कागजी कार्यवाही तो मजबूत होती है परन्तु जन – जन तक उसका लाभ

www.ignited.in

प्राप्त नहीं होता है। जब तक एक अच्छे निगमित नागरिक की सोच उत्पन्न नहीं होगी कोई भी कम्पनी अपने उत्तरदायित्व की मात्र नियमो की पूर्ति तक ही सीमित होगी।

यदि सरल शब्दों में कार्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना हो तो हम कह सकते है की "कार्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व, कम्पनियों के बारे में यह है कि कैसे वो व्यापार प्रक्रिया का प्रबंधन के साथ सकारात्मक प्रभाव समाज के बारें में रखती है।"

भारत की कंपनियां अब जनता की भलाई के कामों पर सीधे सीधे करीब 24000 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। कंपनी अधिनियम की नई धारा 134 के मुताबिक अब उन सभी कंपनियों को सीएसआर यानि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अपने मुनाफे का 2 फीसदी धन सीधे जनता के सरोकार से जुड़े काम–काज पर खर्च करना ही होगा जो इसके दायरे में आएंगी, धारा 134 के दायरे में आनेवाली कंपनियां–

✓ जिनकी शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रूपये या उससे अधिक की होगी या

✓ जिनका कारोबार 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक का हो या

✓ जिनका शुद्ध मुनाफा 50 करोड़ या उससे अधिक का हो

इन सभी पैमानों में से यदि किसी एक पैमाने पर भी कोई कार्पोरेट खरा उतरता है तो उसे अपने शुद्ध मुनाफे का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा सीएसआर यानि सामाजिक दायित्व के काम पर खर्च करना ही होगा।

मशहूर रिसर्च कंपनी केपीएमजी के एक अनुमान के मुताबिक इस नए कानून के दायरे में करीब 16000 कंपनियां आएंगी और करीब 24000 करोड़ रूपये सीधे जनता के भलाई के काम खर्च भी होगा। कानून बनने के बाद अब इसके दायरे में आनेवाली तमाम कंपनियों को अपनी सालाना आर्थिक रिपोर्ट के साथ साथ ही अपने सामाजिक दायित्व के कामकाज की रिपोर्ट भी कार्पोरेट मंत्रालय में भेजनी होगी इतना ही नहीं इस रिपोर्ट को उन्हें सार्वजनिक भी करना होगा और ऐसा न करने पर उनकी जवाबदेही बनेगी।

अध्ययन का उद्देश्य–

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और नए अधिनियम के तहत कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीएसआर के कामकाज और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत चयनित कम्पनियों द्वारा किये गये कार्यों का अध्यन।

शोध सरंचना–

प्रस्तुत शोघपत्र सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। शोघपत्र द्वितीयक समको का प्रयोग किया गया है। समंको की प्राप्ति विभिन्न पुस्तकों, समाचार–पत्र, पत्रिकाआ तथा इन्टरनेट बेवसाईट से की गई है।

सीएसआर के कार्य–

नए अधिनियम के तहत कार्पोरेट मंत्रालय ने सीएसआर के कामकाज की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है, इसके तहत–

✓ भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य देख–भाल और स्वछता को बढ़ावा देना एवं पीने का साफ पानी उपल्ब्ध कररवाना।

✓ बच्चों, बूढ़ों, अपंग और महिलाओं में शिक्षा और खासकर रोजगार कौशल निखारनेवाली शिक्षा को बढ़ावा देना, आजीविका के नए साधन उपल्बध करानेवाली योजनाएं।

✓ लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला छात्रावास, बृद्धाश्रम बनवाना, अनाथालय बनवाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केअर सेंटर खोलना, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछडे समाज की असमानता को दूर करनेवाली योजनाएं।

✓ पर्यावरण का बचाव एवं संतुलन, जीव–जंतूओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखनेवाली योजनाएं।

✓ राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, कला एवं संस्कृति के संरक्षण के तहत ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं कलाकृतियों का पुनरुत्थान, पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का प्रमोशन और विकास भी शामिल है।

✓ सेना से रिटायर सैनिकों, युद्ध की विधावाओं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए किए गए उपाय।

✓ ग्रामिण खेलकूद, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलकूद, पैराओलंपिक खेलकूद, और ओलंपिक खेलकूदों को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग देना।

✓ प्रधानमंत्री राहतकोष योजना, या सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े समुदायों, अनुसूतियों, अनुसूचित जनजातियों, माइनॉरीटी, और महिलाओं के कल्याण एवं राहत के लिए बनाए गए केंद्रीय कोष में दिया गया दान।

✓ केंद्रीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों के लिए दिया गया दान।

✓ ग्रामीण विकास की योजनाएं।

सरकार ने इन तमाम कार्यकलापों की खुले विचारों से व्याख्या करने की सलाह दी है मतलब ये कि कंपनियां नियम के तहत दी गई गतिविधियों को लेकर कंफ्यूज ना हों और अगर उन्हें लगता है कि कोई सामाजिक कार्य सीएसआर की मूल भावना से प्रेरित है तो उस काम को भी वो अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की योजनाओं में शामिल कर सकती हैं।

कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व–

- **इंडियन ऑयल (सीएसआर):** इंडियन ऑयल में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वर्ष 1964 में स्थापना के समय से ही सफलता की आधारशिला रहा है। इस मूल निष्पादन क्षेत्र में कॉर्पोरेशन का लक्ष्य पर्यावरण के संबंध में जागरूकता पैदा करके लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में सहायता करना और पर्यावरण संतुलन और राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित रखना हैं। समाज में कार्य करने वाले सक्रिय भागीदार के तौर पर इंडियन ऑयल अपने सामाजिक दायित्व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्य कर रहा है जिसके द्वारा इसने शेयरधारकों और ग्राहकों के लिए मूल्यों का निर्माण किया है। कॉर्पोरेशन मानव अधिकारों का सम्मान करता है, अपने कर्मचारियों की कद्र करता है और पोषणीय ऊर्जा प्रवाह तथा आर्थिक विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों और समाधानों में निवेश करता है। इंडियन ऑयल हर वर्ष व्यापक समाज कल्याण और विकास कार्यक्रम के माध्यम से देश के लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अपने लाभ का एक नियत हिस्सा अलग से रखता है। समुदाय विकास निधियों का लगभग एक चौथाई हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभ भोगियों पर खर्च किया जाता है। पेयजल, सफाई ,महिलाओं तथा हाशिए पर रहने वाले अन्य समूहों के सशक्तिकरण की व्यवस्था द्वारा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण में साझीदार समुदायों के लिए इंडियन ऑयल का सहयोजित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम है। इंडियन ऑयल राष्ट्रीय आपदाओं के समय सदैव आगे रहा है। कॉर्पोरेशन इंडियन ऑयल कला प्रदर्शनी, इंडियन ऑयल संगीत सभा और इंडियन ऑयल कवि सम्मेलन के अपने बैनर तले कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य में विभिन्न प्रयासों का समर्थन भी करता है।

- **जीवन बीमा और सीएसआर:** जीवन बीमा और सामाजिक दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू है। साधारणतः बीमा कम्पनियाँ सीएसआर को एक अलग दृ ष्टिकोण से देखती है। ऐसा इसलिए है की जीवन बीमा अपने आप में एक सामाजिक सरोकार का साधन है जिसमे लोगों के आकस्मिक समय में वित्तीय संकट से रक्षा प्रदान करना है, और बीमा कम्पनियाँ करती भी है। एक तरफ जहाँ जीवन बीमा के क्षेत्र में ग्राहक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और नियमित ग्राहक सेवा की आवश्यकता पड़ती है वही दूसरी तरफ जीवन बीमा कम्पनियाँ प्रतियोगिता में बने रहने के लिये हर संभव प्रयास करती है। कुछ जीवन बीमा कम्पनियों का मानना यह भी हो सकता है की ग्राहक सेवा अत्यधिक महत्वपूर्ण है न की सीएसआर। एक तरफ जहाँ कम्पनियाँ बड़े तबके के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने हेतु बिज्ञापन पर करोड़ो रूपये खर्च करती है वही उन्हें सीएसआर पर किया गया खर्च अनावश्यक प्रतीत होता है वजह सीएसआर के क्षेत्र में खर्च किये गये धनराशि से तत्काल व्यावसायिक प्रतिफल नहीं मिल पाता। जीवन बीमा कम्पनियाँ ऐसी अवधारणा इस लिए रखती है की उनमे दूरदर्शिता की कमी, परिवर्तन के पैमाने को नियंत्रित न कर पाना, सीएसआर के लिए दोयम दर्जे का रणनीतिक प्रबंधन, जोखिम अवसर भूमिका, चयनात्मक सुनवाई, पुरानी संरचना को बनाए रखने, असमान दृष्टिकोण, गैर–भागीदारी दृष्टिकोण, नवाचार के रूप में सीएसआर देखने के लिए विफलता, कंपनी एकता और लाभ की पहचान में कमी का होना है, जिससे उन्हें सीएसआर पर किया गया व्यय अनावश्यक और अनुपयोगी लगता है।

- **आईडीबीआइ और सीएसआर:** आईडीबीआई, वर्तमान वर्ष में संस्था के रूप में अस्तित्व के 50 वें युगारंभी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) चालीस वर्षों तक (1964–2004) औद्योगिक और बुनियादी संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र को परियोजना वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था तथा औद्योगिक वित्त पोषण एवं विकास के क्षेत्र में पॉलिसी बैंक रहा है। इसने देश की वित्तीय संरचना के गठन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि आईडीबीआई बैंक इस बात को समझता है, कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में सार्थक और स्थायी सुधार लाने के लिए सीएसआर गतिविधियां कितना महत्व रखती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आईडीबीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्थापित सीएसआर नीति है जो समाज के पिछड़े वर्गों के जीवन में सार्थक, दृश्य और स्थायी सुधार के लिए तैयार की गई है और इसके लाभ से देश भर में विभिन्न योग्य सीएसआर पहल कार्यों के लिए समर्पित सीएसआर बजट रखा गया है। आईडीबीआई बैंक पिछले दो वर्षों से निरंतर सीएसआर क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से समाज के लक्षित वर्ग में बदलाव लाने के लिए अपनी गतिविधियों और निधि सहायता को बढ़ा रहा है। इसमें शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं और लैंगिक समानता तथा सामाजिक– आर्थिक सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, खेलकूद गतिविधियों आदि जैसे विविध क्षेत्रों में शिरकत की है। सीएसआर क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक के पहल कार्यों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया है और एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में भी जनता ने इसकी सराहना की है।

- **बीएचईएल और सीएसआर:** सीएसआर पर बीएचईएल का मिशन कथन है एक प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक बनना, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बीएचईएल के अब तक के योगदान में गांवों को गोद लेना, मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाना धर्माथ औषधालयों, पिछड़े और अपंग बच्चों के लिए स्कूलों को सहयोग देना, आपदा प्राकृतिक तबाही के दौरान सहायता प्रदान करना, अपंग और पूर्व सैनिकों को रोजगार देना, वर्षा जल संग्रहण, लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करना,

पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

- **एचपीसीएल और सीएसआर:** कॉर्पोरेशन सीएसआर का ध्यान जिन क्षेत्रों की तरफ है वह राष्ट्रीय विकास संबंधी नीतियां, बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के विकास के लिए राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से प्रेरित हैं। एचपीसीएल के सीएसआर क्षेत्रों का मुख्य ध्यान बाल अधिकार, बाल विकास और शिक्षा कानून, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों, स्वास्थ्य देखभाल–भारत विजन 2020, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, और सामुदायिक/ग्रामीण विकास पर नीतियों से प्रेरित है, सभी परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां इन क्षेत्रों में बच्चे की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, खेल, पर्यावरण एवं सामुदायिक विकास करना है।

- **एनटीपीसी और सीएसआर:** भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। जबकि एनटीपीसी एक ताप विद्युत कंपनी है एनटीपीसी की सामुदायिक विकास पहल मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, क्षमता निर्माण एवं महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आधारभूत सुविधा का विकास, पेयजल प्रदान करना, कला संस्कृति एवं खेल को बढ़ावा देना, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तिदयों आदि को सहायता देने के क्षेत्र में अधिक ध्यान देना है।

- **भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सीएसआर:** भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना देश में संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के विनिर्माण का आधार–पीठ तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1970 में की गई। इसके अस्तित्ववान होने में राष्ट्र की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनने की भावी दृष्टि प्रतिबिंबित होती है। बी डी एल ने सुरक्षित स्वच्छता विकसित करने के उद्देश्य से नलगोंडा जिले के चौटुप्पल तथा नारायणपुर मंडल के चुनी गई आदिवासी तांडाओं में 1000 शौचालयों के निर्माण के लिए 'आहार उत्पादन कार्यक्रम' (ए एफ पी आर ओ) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये हैं। बी डी एल इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय अदा किया तथा ए एफ पी आर ओ को कुल 1,99,93,375६– रुपये की राशि दी। दि. 19 नवंबर, 2012 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ए एफ पी आर ओ ने नारायणपुर मंडल में शौचालय निर्माण का कार्य किया। बी डी एल ने दि. 29 सितंबर 2012 को नांदी फाउंडेशन के साथ तीन वर्ष के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये अ.ज्ञा.प्र. के अनुसार नांदी फाउंडेशन नलगोंडा जिले के नारायणपुर, पीपल पहाड़ तथा जनगांव में तीन सामुदायिक जल–केंद्र स्थापित किये। बी डी एल तीन साल तक वाटर.मशीन खरीदने तथा उनके अनुरक्षण के लिए निधियां दी। बी डी एल पहले साल अनुरक्षण सहित अनुमानित व्यय 63,84,342६– रुपये तथा अगले दो सालों में प्रत्येक वर्ष के लिए 9,03,102६–रुपये की राशि दी।

उपसंहार –

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया गया स्व–नियंत्रण है जिसके अन्तर्गत वे ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करतीं हैं जो कानून, नैतिक मानकों, एवं अन्तरराष्ट्रीय रीति के अनुकूल हो। इसके अन्तर्गत कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी, तथा अंशधारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाले जाते है। सीएसआर कॉर्पोरेट जवाबदेही, लाभप्रदता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक अनिवार्य तंत्र है। हालांकि सीएसआर से जितना लाभ प्राप्त करने वालों को होता है उससे कही अधिक लाभ सीएसआर में खर्च करने वालों को होता है। इन सब के अलावा कटु सत्य यह भी है की सीएसआर के रूप में खर्च किये गये धनराशि से तत्काल व्यवसाय की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है जबकि सीएसआर पर खर्च से परिणाम इतना सशक्त होता है की ब्राण्ड जन मानस में भरोसे का प्रतीक बन जाता है।

सन्दर्भ–

Jayati Sarkar and Subrata Sarkar (2015). Corporate Social Responsibility in India - An Effort to Bridge the Welfare Gap, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.

Mahajan Ritika (2015). Corporate Social Responsibility in India: Revisiting Carroll's Pyramid and The Road Ahead, Pacific Business Review International , Vol(7) 9: 1-13p.

Neelmani Jaysawal, Sudeshna Saha (2015). Corporate Social Responsibility (CSR) in India: A Review, Journal Space and Culture, India international journal in Humanities and Social Sciences. Vol 3, No 2 .

http://www.astrum.in/corporate-social-responsibility-beyond-community-relations/

http://licword.blogspot.in/2015/12/blog-post_18.html

https://hindi.iocl.com/Aboutus/corporatesocialresponsibility.aspx

http://www.bhel.com/hindi_site/csr/about_us.php

http://www.hindustanpetroleum.com/hi/CorporateSocialResponsibility1

http://www.ntpc.co.in/hi/corporate-citizenship/corporate-social-responsibility

http://thecsrjournal.in/hindi-forum-csr-and-you/

http://www.triad-india.com/CSR.aspx

http://www.idbi.com/hindi/Corporate-Social-Responsibility.asp

http://bdl.ap.nic.in/bdlaboutcsrh.htm

Corresponding Author

Dr. Prankush Sharma*

Guest Faculty, Kamlaraja Girls Govt Post Graduate Collage, Gwalior

E-Mail – prankush4243@gmail.com